07/4/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अवलोकन कर उपरान्त वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS 2025/233

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ ([illegible])

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.

वाद संख्याः– 119/2025 **दायरा दिनांकः– 28.04.2025**

GCMS:- 2025/233

–: अनवान :–

बलमीत सिंह पुत्र बचनसिंह जाति कम्बोज निवासी वार्ड न. 18, कोहीनूर सिनेमा के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....वादी

बनाम

1. श्रीमती महेन्द्र कौर पत्नी मलकियतसिंह जाति कम्बोज निवासी वार्ड न. 18 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री विनोद कुमार बिश्नोई, अधिवक्ता, वादी
2. श्री कुलविन्द्रसिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 07/04/2026

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि चक 16 एस.एल.डी.(ए) के पत्थर नम्बर 84/380 मु.न. 4 किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 15, 17, 18/2.783 हैक., 22/2 में 0.1260 हैक., 23/0.253 = 2.9090 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी खातेदार हरविन्द्रसिंह पुत्र श्री मलकीयतसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी वार्ड न. 18 सूरतगढ़ के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार हैं। उक्त भूमि में से किला नम्बर 3/0.012 हैक्टेयर पासा उतर–पश्चिम, 22/0.012 हैक्टेयर पासा दक्षिण कुल 0.024 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि में 2/3 हिस्सा वादी बलमीतसिंह द्वारा तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादीया न. 1 महेन्द्र कौर द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 06.10.2015 को खातेदार हरविन्द्रसिंह से खरीद की थी। जिसका बैयनामा दिनाक 06.10.2015 को उप–पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ में पंजीबद्व है। वादी द्वारा उक्त वर्णित बैयनामा अपने पक्ष में निष्पादित होने के पश्चात बैयनामा की चित्रप्रति तत्कालीन पटवारी हल्का को अपने नाम से इन्तकाल बैयनामा के आधार पर [illegible] के लिए दे दी थी परन्तु तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा बैयनामा के आधार [illegible] वादी के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया। वर्तमान में जेरवाद रकबा की जमाबन्दी [illegible] लाईन हो चुकी हैं तथा अब पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज करने से [illegible] कर दिया हैं कि किले टूटने के कारण ऑनलाईन नामान्तरकरण दर्ज नहीं [illegible] हैं। जेरवाद खरीदशुदा रकबा का कब्जा काश्त वादी के पास चला आ रहा हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन नहीं होने के कारण वादी उक्त रकबा जो कि ट्युबवैल लगाने के लिए खरीद किया था जिस पर अपने नाम से विधुत कनेक्शन हेतु आवेदन ही नहीं कर पा रहा हैं। वादी वाद पत्र प्रस्तुत करने से 7 दिन पूर्व जैरवाद रकबा को बैयनामा के आधार पर अपने नाम से अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:55 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

करवाने हेतु तहसीलदार से मिला तो तहसीलदार ने पटवारी रिपोर्ट का हवाला देते स्पष्ट मना कर दिया तथा कहा कि आप उपखण्ड अधिकारी की अदालत में दावा करके अपने नाम से बैयनामा के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाकर लाओ तभी जमाबंदी में नामान्तरकरण दर्ज हो पायेगा। प्रतिवादी की यह इन्कारी ही वाद पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य कारण हैं। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र अनुतोष क ता ग अनुसार डिक्री किया जावे। वादी द्वारा उक्त भूमि के अलावा चक 41 पी.बी.एन. की भूमि का दावा भी किया था जिसका अनुतोष वादी को पूर्व में ही मिल जाने से उतने हिस्सा का वाद पत्र दिनांक 16.12.2025 को विड्रा कर लिया गया हैं।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये तथा अपना जवाब इकबालदावा प्रस्तुत कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की तथा वाद पत्र डिक्री करने का निवेदन किया। प्रतिवादी ने अपना जवाब इकबालदावा प्रस्तुत कर दिया है।

बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया। प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार जैरवाद भूमि बेचानकर्ता खातेदार हरविन्द्रसिंह पुत्र मलकीयतसिंह के नाम से दर्ज हैं। मुताबिक बैयनामा दिनांक 06.10.2015 के उक्त भूमि में से चक 16 एस.एल.डी. ए के पत्थर नम्बर 84/380 में किला नम्बर 3/0.012 हैक्टेयर पासा उत्तर–पश्चिम, 22/0.012 हैक्टेयर पासा दक्षिण कुल 0.024 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि में 2/3 हिस्सा वादी बलमीतसिंह द्वारा तथा शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादीया न. 1 महेन्द्र कौर के नाम से खरीदशुदा हैं। बैयनामा उप–पंजीयक कार्यालय सूरतगढ़ से पंजीबद्ध हैं। प्रतिवादी न. 1 ने अपना इकबालजवाबदावा प्रस्तुत कर मुताबिक बैयनामा दावा डिक्री करने में अपनी सहमती दे दी हैं। इस प्रकार बैयनामा अनुसार वादी का दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 16 एस.एल.डी. ए पटवार हल्का पदमपुरा भू.अभि.नि.क्षेत्र बीरमाना की जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 53 नया 49 पुराना के पत्थर नम्बर 84/380 मु.न. 4 के किला नम्बर 3 में 0.012 हैक्टेयर(पासा उत्तर–पश्चिम), किला नम्बर 22 में 0.012 हैक्टेयर(पासा दक्षिण) कुल 0.024 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि का वादी बलमीतसिंह पुत्र बचनसिंह जाति कम्बोज निवासी वार्ड न. 18, कोहीनूर सिनेमा के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को 2/3 हिस्सा का तथा प्रतिवादी न. 1 श्रीमती महेन्द्र कौर पत्नी मलकीयतसिंह जाति कम्बोज निवासी वार्ड न. 18 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज. को 1/3 हिस्सा की खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त वर्णित कुल 0.024 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि खातेदार हरविन्द्रसिंह पुत्र मलकीयतसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सूरतगढ़ के खाता संख्या 53 नया, 49 पुराना में से कम की जाकर वादी एवं प्रतिवादी न. 1 के नाम से उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज की जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.202[illegible] को [illegible]या गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:55 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जयप्रकाश मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– भरत जय प्रकाश मीना, आई.ए.एस.

–: अनवान :–

बलमीत सिंह पुत्र बचनसिंह जाति कम्बोज निवासी वार्ड न. 18, कोहीनूर सिनेमा के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....वादी

बनाम

1. श्रीमती महेन्द्र कौर पत्नी मलकियतसिंह जाति कम्बोज निवासी वार्ड न. 18 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 207, 209, राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 119 वर्ष 2025 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री विनोद कुमार बिश्नोई एवं प्रतिवादी संख्या 1 श्री कुलविन्द्रसिंह के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसील सूरतगढ़ के चक 16 एस.एल.डी. ए पटवार हल्का पदमपुरा भू.अभि.नि.क्षेत्र बीरमाना की जमाबंदी 2077(वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 53 नया 49 पुराना के पत्थर नम्बर 84/380 मु.न. 4 के किला नम्बर 3 में 0.012 हैक्टेयर(पासा उतर–पश्चिम), किला नम्बर 22 में 0.012 हैक्टेयर(पासा दक्षिण) कुल 0.024 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि का वादी बलमीतसिंह पुत्र बचनसिंह जाति कम्बोज निवासी वार्ड न. 18, कोहीनूर सिनेमा के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर को 2/3 हिस्सा का तथा प्रतिवादी न. 1 श्रीमती महेन्द्र कौर पत्नी मलकीयतसिंह जाति कम्बोज निवासी वार्ड न. 18 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज. को 1/3 हिस्सा की खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त वर्णित कुल 0.024 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि खातेदार हरविन्द्रसिंह पुत्र मलकीयतसिंह जाति कम्बोजसिख निवासी सूरतगढ़ के खाता संख्या 53 नया, 49 पुराना में से कम की जाकर वादी एवं प्रतिवादी न. 1 के नाम से उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज की जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें।

नोज.......... × .... मुबलिग......... × .... बाबत.......... ×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... × .... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.04.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.09 11:22:55 IST
Reason: SelfAttested

(भरत जय प्रकाश मीना)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)